दिनांक : 27.6.2001

क्रमांक : ब्लॉकप्राशि/संस्था/2001/

कार्यालय – आदेश

निम्नलिखित शिक्षण संस्थाओं के सचिव /मंत्री/व्यवस्थापक के आवेदन पत्र एवं शपथ-पत्र के आधार पर पूर्णतया अस्थाई मान्यता प्राथमिक स्तर (माध्यम हिन्दी) के लिए शैक्षिक सत्र वर्ष : 2001-2002 से 2003-2004 तक की निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

(1) संस्था राज्य सरकार एवं विभागीय नियमों एवं निर्देशों की सदैव पालना करती रहेगी।

(2) समस्त प्रकार के शुल्क विभागीय नियमानुसार ही लिये जावें।

(3) नव नियुक्तियाँ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के प्रावधानानुसार ही की जावें।

(4) राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें) नियम 1993 एवं अधिनियम 1989 के प्रावधानों का सदैव पालन करना होगा।

(5) विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी भी समय संस्था का निरीक्षण किया जा सकेगा।

उक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर संस्था की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

क्र.सं.	संस्था का नाम	मान्यता स्तर	माध्यम
1.	विवेकानन्द विद्या आश्रम कातरकोटी त० सुजानगढ़	उ०प्रा०वि०	हिन्दी

नोट: 31.7.2001 तक प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति करें।

Sd-

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति, सुजानगढ़ (चूरू)

दिनांक : 27.6.2001

क्रमांक : ब्लॉकप्राशि/संस्था/2001/ 1473-76

प्रतिलिपि :- 1- श्रीमान निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान- बीकानेर ।
2- श्रीमान उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा - चूरू ।
3- श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा० शि०- चूरू ।
4- सचिव / मंत्री / व्यवस्थापक विवेकानन्द विद्या आश्रम कातरकोटी

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति, सुजानगढ़ (चूरू)